



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02082025-265188
CG-MH-E-02082025-265188

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3470]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947

No. 3470]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 31 जुलाई, 2025

रेलवे अधिनियम (संशोधन) 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 3556(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में "दौंड - मनमाड दुहेरी रेलवे मार्ग प्रकल्प" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "महाराष्ट्र टाइम्स" में तारीख 03 जुलाई 2025 तथा "देशदूत" में तारीख 03 जुलाई 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, रापली, वागदर्डी गाव में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूपसे निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में विशेष रेल परियोजना “दौंड - मनमाड दुहेरी रेलवे मार्ग प्रकल्प” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरणक्रमांक	गाँव का नाम	उप विभाग	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमिधारणा प्रणाली	7/12 के अनुसार कुलक्षेत्रफल (हे.आर)	संपादन क्षेत्र (हे. आर)	मालमत्ता		
									बोअर / कुंआ	बांधकाम	पेड़
1	01/2019	रापली	चांदवड	मछिंद्र बाबासाहेब राजनोर, सुनीता देवीदास राजनोर, अक्षय बाबासाहेब राजनोर	90	1	1.20	0.73	१ कुंआ, २ बोअर	-	-
2	01/2019	रापली	चांदवड	ललिता नामदेव पगार	95	1	1.91	0.33	१ बोअर	-	-
3	01/2019	रापली	चांदवड	निवृत्ति बारकु मोटे, बाबासाहेब बारकु मोटे, बंडू बाबूराव मोटे, रंगनाथ बाबूराव मोटे, गंगाधर बाबूराव मोटे, संजय बाबूराव मोटे, लक्ष्मण म्हतरबा मोटे	58	1	0.60	-	१ बोअर	३ घर	-
4	01/2019	रापली	चांदवड	जीजाबाई प्रल्हाद मोरे	59/1/4	1	1.78	-	-	१ घर	-
5	01/2019	रापली	चांदवड	उत्तम जानुजी कांबळे	57	1	1.22	-	-	१ घर	-
6	01/2019	रापली	चांदवड	जालिंदर नाना हाके	95/2	1	1.91	-	१ पानी की टंकी	-	-
7	01/2019	रापली	चांदवड	गंगाधर कोंडाजी राजनोर	59/1/3	1	1.77	-	१ कुंआ, 1 बोअर	-	-
8	01/2019	रापली	चांदवड	लहानु शंकर राजनोर	97	1	2.15	-	-	१ घर	-
9	01/2021	वागद	चांदवड	लक्ष्मण चिंधू	84	1	1.27	-	-	१ टिन	-

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरणक्रमांक	गाँव का नाम	उप विभाग	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमिधारणा प्रणाली	7/12 के अनुसार कुलक्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)	मालमत्ता		
									बोअर / कुंआ	बांधकाम	पेड़
		डी		गागरे, साईराम चिंधू गागरे						शेड	
10	01/2021	वागद डी	चांदवड	अशोक कचरू गागरे	64	1	0.74	-	२ बोअर	२ टिन शेड	-
कुल योग							14.55 हे.आर	1.06 हे.आर			

[फा. सं. G197/GOM/Daund-Manmad/Rapli & Wagdardi/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st July, 2025

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 3556(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Daund – Manmad doubling project (247.50 Km) in the District of Nashik in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily News Paper “Maharashtra Times” dated 03 July 2025, and “Deshdoot” dated. 03 July 2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, in Rapli & Waghdardi village no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20(E) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project Daund – Manmad doubling project (247.50 Km) in the State of Maharashtra.

S. N.	LAQ Case No.	Village Name	Sub division	Name of Land Holder(s) as per 7/12	Survey/Gat No.	Land Tenure System	Total area as per 7/12 (Ha)	Land to be Acquired (H.R.)	Assets		
									Bore / well	Constructions	Trees
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01/2019	Rapli	Chandwad	Machindra Babasaheb Rajnor, Sunita Devidas Rajnor, Akshay Babasaheb Rajnor	90	1	1.20	0.73	1 well, 2 Bore	-	-
2	01/2019	Rapli	Chandwad	Lalita Namdev Pagar	95	1	1.91	0.33	1 Bore	-	-
3	01/2019	Rapli	Chandwad	Nivritti Barku Mote,	58	1	0.60	-	1 Bore	3 Houses	-

S. N.	LAQ Case No.	Village Name	Sub division	Name of Land Holder(s) as per 7/12	Survey/Gat No.	Land Tenure System	Total area as per 7/12 (Ha)	Land to be Acquired (H.R)	Assets		
									Bore / well	Constructions	Trees
				Babasaheb Barku Mote, Bandu Baburao Mote, Ranganath Baburao Mote, Gangadhar Baurao Mote, Sanjay Baburao Mote, Laxman Mhatarba Mote							
4	01/2019	Rapli	Chandwad	Jijabi Praldad More	59/1/4	1	1.78	-	-	1 Houses	-
5	01/2019	Rapli	Chandwad	Uttam Gyanuji Kamble	57	1	1.22	-	-	1 Houses	-
6	01/2019	Rapli	Chandwad	Jalindar Nana Hake	95/2	1	1.91	-	1 Water Tank	-	-
7	01/2019	Rapli	Chandwad	Gangadhar Kondaji Rajnor	59/1/3	1	1.77	-	1 Well, 1 Bore	-	-
8	01/2019	Rapli	Chandwad	Lahanu Shankar Rajnor	97	1	2.15	-	-	1 Houses	-
9	01/2021	Wagdardi	Chandwad	Laxman Chindhu Gagare, Sairam Chindhu Gagare	84	1	1.27	-	-	1 Tin Shed	-
10	01/2021	Wagdardi	Chandwad	Ashok Kachru Gagare	64	1	0.74	-	2 Bore	2 Tin Shed	-
Grand Total							14.55 Ha	1.06 Ha			

[F. No. G197/GOM/Daund-Manmad/Rapli & Wagdardi/20E]
 AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)